न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 18/2012 (आरसीएमएस संख्या : 2012/00030)
सरकार जरिये तहसीलदार, फागी, जिला-जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

हरदमसिंह पुत्र करणीसिंह, जाति-पंजाबी, निवासी-जयपुर।

अप्रार्थी,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :-

1. पेरोकार सरकार।
2. अप्रार्थी बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक : 21.10.2019

तहसीलदार, फागी द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011-2030 में ग्राम गोपालपुरा की आराजी खसरा नम्बर 253 रकबा 194 बीघा 08 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर मुमकिन नदी दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 253 रकबा 194 बीघा 08 बिस्वा में से 11 बीघा 10 बिस्वा हरदमसिंह पुत्र करणीसिंह, जाति-पंजाबी के हक में दिनांक 21.06.1971 को आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 191 हरदमसिंह के नाम गैर-खातेदारी दर्ज होकर अप्रार्थी हरदमसिंह के गैर-खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2064-2067 अनुसार दर्ज हैं। भू-प्रबन्ध सम्वत् 2011-2030 में दर्ज गैर-मुमकीन नदी आराजी को निजी गैर-खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिला लगानी गैर-मुमकीन नदी दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011-2030 में ग्राम गोपालपुरा की आराजी खसरा नम्बर 253 रकबा 194 बीघा 08 बिस्वा में से 11 बीघा 10 बिस्वा हरदमसिंह पुत्र करणीसिंह, जाति-पंजाबी के हक में दिनांक 21.06.1971 को आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 191 हरदमसिंह के नाम गैर-खातेदारी दर्ज होकर अप्रार्थी हरदमसिंह के गैर-खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2064--2067 अनुसार दर्ज हैं। भू-प्रबन्ध सम्वत् 2011-2030 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने

अति. कलक्टर (द्वि.) जयपुर

से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 253 रकबा 194 बीघा 08 बिस्वा में से 11 बीघा 10 बिस्वा हरदमसिंह पुत्र करणीसिंह, जाति–पंजाबी को उप–खण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 21.06.1971 को आवंटन किया गया हैं। जिसका इन्द्राज नामान्तरकरण सं0 191 के कॉलम सं0 14 पर है, नियमों के विपरीत अवैध रूप से आवंटन किया गया है जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 में गैर–मुमकिन नदी दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन दिनांक 21.06.1971 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन हेतु राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 राज्य सरकार द्वारा बनाये गये है और ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावशील हुए है। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकिन नदी की आराजी को दिनांक 21.06.1971 को हरदमसिंह पुत्र करणीसिंह, जाति–पंजाबी को आवंटन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रांरभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में आवंटन एवं आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने विद्वान पेरोकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 ग्राम गोपालपुरा की आराजी खसरा नम्बर 253 रकबा 194 बीघा 08 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नदी दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 253 रकबा 194 बीघा 08 बिस्वा में से 11 बीघा 10 बिस्वा हरदमसिंह पुत्र करणीसिंह, कौम–पंजाबी के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 191 हरदमसिंह के नाम दर्ज होकर गैर–खातेदारी का स्वीकार होने के फलस्वरूप अप्रार्थी हरदमसिंह की गैर–खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 अनुसार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में दर्ज गैर–मुमकिन नदी आराजी को निजी गैर–खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् पेरोकार सरकार ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन दिनांक 21.06.1971 को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकिन नदी दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2011–2030 से होती है और इस आराजी का आवंटन

हरदमसिंह पुत्र करणीसिंह, जाति–पंजाबी को दिनांक 21.06.1971 को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0 191 ग्राम गोपालपुरा से होती है। विवादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 में निजी गैर–खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिला लगानी सिवायचक गैर–मुमकीन नदी की भूमि की निजी गैर–खातेदारी/खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नदी भूमि का आवंटन कर गैर–खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण में एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकिन नदी भूमि का आवंटन नही किया जा सकता इसके बावजूद नियमों के विपरीत आवंटन कर गैर–खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को गैर–खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, फागी द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। वादग्रस्त आराजी पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है आराजी पड़त है। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी ख0न0 253 रकबा 194 बीघा 08 बिस्वा में से 11 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम गोपालपुरा आवंटन दिनांक 21.06.1971 बहक हरदमसिंह पुत्र करणीसिंह, जाति–पंजाबी को निरस्त करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी गैर–खातेदारी में लगाए जानें की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकीन नदी दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 23.12.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 21.10.2019 को सुनाया गया।

अति. कलेक्टर (द्वितीय)
जयपुर

न्यायालय अति. कलेक्टर (द्वितीय) जयपुर